सेवा में
नगर आयुक्त महोदय
पटना नगर निगम
मौर्यालोक पटना

AMC (Emp)

विषय :- मीठापुर अवस्थित निगम आवास संख्या 01 के आवंटन के सम्बन्ध में

12 APR 2018

महाशय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सशक्त स्थायी समिति की 55वी साधारण बैठक की कार्यवाही दिनांक 09/06/2015 के प्रस्ताव संख्या 443 में लिये गये निर्णय निम्न प्रकार है:—

"सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की मीठापुर स्थित निगम आवास संख्या 01 को खाली कराकर संजय कुमार प्रभारी सहायक गोपनीय शाखा पटना नगर निगम को प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सशक्त स्थायी समिति के उपरोक्त आदेश के बावजूद आज तक भू-सम्पदा पदाधिकारी एवं शाखा के द्वारा आदेश निर्गत नहीं किया गया जब की, भूसम्पदा पदा० के द्वारा की गयी आपत्ति बिल्कुल ही निराधार है। तथा सशक्त स्थायी समिति के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जब की अब तक जितने कर्मियों की आवास आवंटन हुआ है वे सभी सशक्त स्थायी समिति के आदेशोपरान्त हुआ है।

3977
12/4/18

अतः श्री मान से प्रार्थना है कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित (सुलभ प्रसंग हेतु प्रति संलग्न) प्रस्ताव के आलोक में मेरे नाम से अंकित आवास संख्या -01 आवंटित करने की कृपा की जाये- जिसके लिए मैं पुरा परिवार कृतज्ञ रहेंगा।

(i) आदेश की प्रति संलग्न
(ii) पूर्व में दिये आवेदन की छाया प्रति

आपका विश्वासी
संजय कुमार
प्रभारी सहायक
नगर आयुक्त के गोपनीय शाखा

No. 37
04/8/16

योजना A

पटना नगर निगम
04 AUG 2016

सेवा में

नगर आयुक्त महोदय
पटना नगर निगम
मौर्यालोक पटना

विषय :- मीठापुर अवस्थित निगम आवास सं० 01 के आवंटन के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सशक्त स्थायी समिति की 59वीं साधारण बैठक की कार्यवाही दिनांक 09/06/2015 के प्रस्ताव संख्या 443 में लिये गये निर्णय निम्न प्रकार है।—

"सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मीठापुर स्थित निगम आवास संख्या 01 को खाली कराकर संजय कुमार प्रभारी सहायक गोपनीय शाखा पटना नगर निगम को प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सशक्त स्थायी समिति के उपरोक्त आदेश के बावजूद आज तक स्थापना शाखा द्वारा आदेश निर्गत नहीं किया गया है जब की स्थापना शाखा द्वारा की गयी आपत्ति बिल्कुल ही निराधार है तथा सशक्त स्थायी समिति के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जब की अब तक जितने कर्मियों को आवास आवंटन हुआ है वे सभी सशक्त स्थायी समिति के आदेशोपरान्त हुआ है परन्तु मेरे मामले में जान बूझकर का उहपन की जा रही है।

1087/16
04/8/16

अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित (सुलभ प्रसंग हेतु प्रति संलग्न) प्रस्ताव के आलोक में मेरे नाम से कर्णांकित आवास सं० - 01 आवंटित करने की कृपा की जाय, जिसके लिए मैं तथा मेरा पूरा परिवार कृतज्ञ रहेगा।

आपका विश्वासी
संजय कुमार
प्रभारी सहायक
गोपनीय शाखा
पटना नगर निगम

पत्रांक— 09/न०वि० एवं आ०वि० शि०— 09/15 517 /न०वि० एवं आ०वि०

Mail

AMC

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पटना नगर निगम 04 MAY 2016

विशेष कार्य पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम,
पटना।

पटना, दिनांक— 03-05-2016

विषयः— संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा को मीठापुर अवस्थित निगम आवास सं0— 01 के आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक— 1938, दिनांक— 13.10.2015 एवं पत्रांक— 85, दिनांक— 18.01.2016 के प्रसंग में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में निदेशानुसार श्री संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा, पटना नगर निगम से प्राप्त शिकायत आवेदन जो सीधे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को संबोधित है। उक्त शिकायत आवेदन—पत्र पर जाँच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर निश्चित रूप से इस विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो अब तक अप्राप्त है।

अतः पुनः स्मारित करते हुए कहना है कि उपर्युक्त वर्णित विषय पर जाँच प्रतिवेदन यथाशीघ्र देने की कृपा की जाय। यह जनहित का मामला है।

विश्वासभाजन
(ह०) 28/4/16
विशेष कार्य पदाधिकारी।

5654/e
04/05/16

ज्ञापांक 517 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 03-05-2016

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 28/4/16
विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्रांक-- 09/न0वि0 एवं आ0वि0 शि0-- 09/15 1938 /न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

CME

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम,
पटना।

15 OCT 2015

पटना, दिनांक-- 13-10-2015

विषय:-- संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा को मीठापुर अवस्थित निगम आवास सं0-- 01 के आवंटन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार श्री संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा, पटना नगर निगम से प्राप्त शिकायत आवेदन जो सीधे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को संबोधित है की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त शिकायत आवेदन--पत्र पर नियमानुसार सभी बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय / इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। यह जनहित का मामला है।

अनु0: यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/10/15

विशेष कार्य पदाधिकारी।

13288
15/10/15

पत्रांक— 09/न0वि0 एवं आ0वि0 शि0— 09/15— 85 /न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम,
पटना।

नगर आयुक्त कोषांग, पटना नगर निगम 19 JAN 2016

पटना, दिनांक— 18-01-2016

विषयः— संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा को मीठापुर अवस्थित निगम आवास सं0— 61 के आवंटन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक— 1938, दिनांक— 13.10.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि श्री संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा, पटना नगर निगम, पटना से प्राप्त शिकायत आवेदन पर जाँच प्रतिवेदन की मांग 7 दिनों के अन्दर की गयी थी, जो अब तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है उक्त पत्र के आलोक में नियमानुसार जाँच प्रतिवेदन यथाशीघ्र नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना। को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

764
19/01/16

(5)

सेवा में,

प्रधान सचिव महोदय,

नगर विकास एवं आ० वि०

विषय - मीठापुर अवस्थित निगम आवास सं०-01 के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सशक्त स्थायी समिति की 55वीं साधारण बैठक की कार्यवाही दिनांक-09.06.2015 के प्रस्ताव सं0-443 में लिए गये निर्णय निम्न प्रकार है:-

" *सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मीठापुर स्थित निगम आवास संख्या-01 को खाली कराकर श्री संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा, प.न.नि. को आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।'*

सशक्त स्थायी समिति के उपरोक्त आदेश के बावजूद पंचिका स्थापना शाखा द्वारा बार-बार आपत्ति दर्ज कर लौटायी जा रही है। स्थापना शाखा द्वारा की गयी आपत्ति बिल्कुल निराधार है तथा सशक्त स्थायी समिति के आदेश की अवहेलना की जा रही है। अबतक जितने कर्मियों को आवास आवंटन हुआ वे सभी सशक्त स्थायी समिति के आदेशोपरान्त हुआ है। परन्तु मेरे मामले में जानबूझ कर बाधा उत्पन्न की जा रही है।

अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित (सुलभ प्रसंग हेतु प्रति संलग्न) प्रस्ताव के आलोक में मेरे नाम से कर्णांकित आवास सं0-01 आवंटित करने की कृपा की जाय, जिसके लिए मैं तथा मेरा पूरा परिवार कृतज्ञ रहेगा।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

संजय कुमार

प्रभारी सहायक गो० शाखा

(संजय कुमार) पटना नगर नि०

दिनांक 02/09/15

~~OSDC~~ ~~DSC(Allot)~~ जन शिकायत

for n/a as per rules & report in 7 days

4/9/15

SO-9

4/9/15

[stamp:] 02 SEP 2015 8101 संख्या.......... बिहार, पटना

102-3

04/09/15

श्री सुरेश / प्र-लिपिक 04/9/15

पटना नगर निगम

बुद्ध मार्ग, पटना – 800 001.

सशक्त स्थायी समिति की 55वीं साधारण बैठक की कार्यवाही

दिनांक - **09-06-2015**

समय - **02.00** बजे अपराह्न

स्थान - मौर्यालोक कम्पलेक्स, सी० ब्लॉक, पटना नगर निगम, पटना।

जय सिंह, भा०प्र०से०	रूप नारायण	अफजल इमाम,
नगर आयुक्त	उप-महापौर	महापौर
पटना नगर निगम, पटना।	पटना नगर निगम, पटना।	पटना नगर निगम, पटना।

श्री संजय कुमार:- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में नये वाहन खरीदने के लिए प्रस्ताव पारित किये गये हैं एवं पुराने वाहनों की मरम्मति के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है, उस पर अब तक क्या हुआ ?

मुख्य नगर अभियंता:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वाहन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र क्रय कर लिया जाएगा।

श्री विनोद कुमार (वार्ड नं०-20) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक-06.02.2015 को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में वार्ड नं0-21 के अन्तर्गत न्यू पाटलीपुत्रा कॉलनी रोड नं0-10 के नामकरण पी0 के0 शरण लेन के नाम से करने का प्रस्ताव पास किया गया है, जो अब तक आदेश निर्गत नहीं किया गया। मेरा प्रस्ताव है कि रोड नामकरण का प्रस्ताव का आदेश निर्गत किया जाय।

श्रीमती आभा लता :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक-06.02.2015 को प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन अभी तक रोड नामकरण का आदेश निर्गत नहीं हुआ है। काम को जमीन पर उतारना चाहिए, जो जनता में दिखाई पड़े। मेरा सुझाव है कि रोड नामकरण का आदेश निर्गत करते हुये संबंधित माननीय पार्षद को सूचित किया जाय।

अध्यक्ष :- सचिव, पटना नगर निगम/मुख्य नगर अभियंता रोड नामकरण का आदेश निर्गत करें और इसकी सूचना संबंधित माननीय पार्षद को भी दें।

प्रस्ताव संख्या-445, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड नं०-22 के अन्तर्गत पाटलीपुत्र कॉलनी, रोड नं०-10 के नामकरण पी०के० शरण लेन के नाम से करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुये पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।

अध्यक्ष :- आज की बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुये बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(अफजल इमाम)
अध्यक्ष,
पटना नगर निगम, पटना।

महापौर
पटना नगर निगम

ज्ञापांक : 4.3.5.4../नि0स0, पटना, दिनांक -03.../07.../2015 ई0।

प्रतिलिपि :- माननीय महापौर/ उप महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/नगर आयुक्त/सभी संबंधित पदाधिकारी को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D/Rahul/Secretary Section Proceeding (Meeting) Standing Committee/09-06-2015

नगर सचिव,

अतिरिक्त मद संख्या-05, मीठापुर बी एरिया स्थित निगम आवास संख्या-01 को आवंटन करने के संबंध में। (श्री संजय कुमार, प्रभारी सहायक गोपनीय शाखा)

श्री विनोद कुमार (वार्ड नं०-20) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम में कई कर्मचारी सेवा निवृत हो गये हैं और वे अभी भी निगम के द्वारा आवंटित आवास में रह रहे है। श्री संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा में कार्यरत है। वे गरीब कर्मचारी हैं, इन्हें वेतन का कुछ भाग किराये में चला जाता है, जिससे इनके परिवारिक खर्च में कटौती करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि जो कर्मचारी सेवा निवृत हो गये है। मीठापुर बी एरिया में आवास संख्या-01 में रह रहे कर्मचारी सेवा निवृत हो गये है। नियमानुसार आवास को खाली कराकर श्री संजय कुमार को आवंटित किया जा सकता है।

श्रीमती आभा लता :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों को निगम द्वारा आवास आवंटित हुआ है और वे सेवा निवृत हो गये है, तो नियमानुसार उनसे आवास खाली कराकर दूसरे कर्मचारी को दिया जाय।

प्रस्ताव संख्या-443, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मीठापुर स्थित निगम आवास संख्या-01 को खाली कराकर श्री संजय कुमार, प्रभारी सहायक, गोपनीय शाखा, प०न०नि० को आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त मद संख्या-10 श्री रामयत्न प्रसाद, विविध अनुज्ञा निरीक्षक सह प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम को अन्य कर्मचारियों की भाँति नियमानुसार सेवा विस्तार की स्वीकृति करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम में कर्मचारियों की कमी है। माननीय पार्षद श्रीमती ज्ञानवती देवी, वार्ड नं0-24 द्वारा श्री रामयत्न प्रसाद, विविध अनुज्ञा निरीक्षक-सह-प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल को अनुबंध पर रखने की अनुशंसा किये है। सरकार ने भी सेवा निवृत कर्मचारियों को रखने का आदेश दिया है।

महापौर
पटना नगर निगम